नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड
(भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी)
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला–श्रीगंगानगर (राज.)
फोनः 01509–223873
ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar

सी.एस.एफ./2–271/जूली/कृषि/सूरत./2019–20/ दिनॉंकः 04.10.2019.

<u>अल्पकालीन निविदा सूचना</u>

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज0) द्वारा फार्म 3 खण्ड़ों के चकों में विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ीयां को सतह तक कटाई करके ''जहॉं है जैसा है'' के आधार पर ले जाने के लिये मोहरबंद निविदाऐं लिये इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदायें दिनांक 23.10.2019 को सायं 1.00 बजे तक ली जायेगी और उसी दिन सायं 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदायें खोलने से पूर्व खुली बोली का भी आयोजन किया जायेगा। निविदा एवं खुली बोली में भाग लेने के लिए निविदादाता को रू.236/– का D.D. फार्म राशि व रू.15000/– (रू0 पंद्रह हजार मात्र) प्रति चक के हिसाब से डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम से देय हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना होगा । निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

प्रबन्धक (उत्पादन)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के तीनों खण्डों के विभिन्न चकों पर खड़ी विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जड़ की सतह तक काटकर ले जानें हेतू नियम एवं शर्ते।

1. निविदा में भाग लेने के लिये तीन खण्डों के लिए रु0 15000/- मात्र प्रत्येक चक के हिसाब से धरोहर राशि के रुप में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के पक्ष में देय हो देना होगा, बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगीं और यह धरोहर राशि सन्तोषजनक कार्य पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। निविदादाताओं को अपना पैन कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड़ अंकित हो व स्थायी पता का कापी निविदा के साथ संलग्न करनी अनविार्य हैं।
2. सफल निविदादाता के द्वारा जमा की गई धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
3. निविदा की उच्च बोली/निविदादर की स्वीकृति/अस्वीकृति उसी दिन सायं या एक सप्ताह के अंदर घोषण कर दी जायेगी। निदेशक को बिना कारण बताये किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
4. उखाड़ी व कुत्तर की जाने वाली लकड़ियों कि दर प्रति क्विंटल होगी, किसी भी प्रकार का सरकार को देय टैक्स इत्यादि अगर होगा तो उसका भुगतान पार्टी को स्वयं करना होगा।
5. कटाई का कार्य एक सिरे से करना होगा, एवं छोटा-मोटा जो भी जूलीफेरा खड़ा है उसे काट कर कुत्तर बनाकर ले जाना होगा। पूरा कार्य चक इन्चार्ज की देखरेख एवं निर्देशानुसार करना होगा।
6. अन्तिम रिलिज आदेश से पुर्व 100.00 कुण्टल भार से कम का रिलिज आदेश किसी भी हालात में जारी नहीं किया जायेगा ।
7. ठेकेदार को कार्य करनें का आदेश मिलनें के बाद तुरंत अपने साधन लगाकर कार्य शुरू करना होगा। यह कार्य खण्डप्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा।
8. वाहनों को आने जाने के लिये जो रास्ता निर्धारित है ठेकेदार उसी का उपयोग करेगा, वह अलग से कोई रास्ता नहीं बनाऐगा। ठेकेदार या उसका आदमी किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद फार्म कर्मचारी के साथ नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके आदमीयों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान फार्म को किया गया तो उसका सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदार ही होगा तथा निदेशक द्वारा लगाया गया दण्ड/जुर्माना, ठेकेदार द्वारा देय होगा।
9. पूरी ट्राली को एक ही दिन में भर तौल कर ले जाना होगा। खण्ड़-1 के माल का वजन खण्ड़-1 के धर्मकाटें पर और खण्ड़-2 व 3 का माल खण्ड़-2 के धर्मकाटें पर करना होगा।
10. कटाई से पूर्व फार्म खाते में धनराशि जमा करवाकर व उचित गेट पास द्वारा ही लकड़ी ले जाने की अनुमति होगी।
11. यदि ठेकेदार कोई अनाधिकृत हरे खड़े वृक्ष को काटता हैं तो उसे फार्म निदेशक द्वारा निर्धारित जुर्मानें का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को किसी भी अनाधिकृत पेड़ को काटनें के मामलें में फार्म संपति के रूप में जमा कराना होगा।
12. लदाई/उतराई आदि के समय कोई दुर्घटना हो जाये तो इसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं होगा तथा पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार के श्रमिकों के हर प्रकार की जिम्मेंवारी जैसे Insurance & Driving License इत्यादि पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगीं।
13. कार्य करने की अवधि सुबह 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ही होगी। कार्य अवधि कार्य आदेश से 31.03.2019 तक होगी ।
14. कार्य के दौरान ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा फार्म का किसी प्रकार का नुकसान किया गया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
15. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी,इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
16. यदि कोई ठेकेदार कार्य को बीच में छोड देता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर और बकाया कार्य किसी अन्य ठेकेदार से करवाया जायेगा । यदि इसकों करवानें में फार्म को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान होता हैं उसकी भरपाई ठेका बीच में छोडनें वाले ठेकेदार से की जायेगी और ठेकेदार को संस्था की डिलिस्ट में डाल दिया जायेगा।
17. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 100-00 रूपये का स्टाम्प अपने खर्चे से खरीद कर व सभी शर्तो को उस पर लिखकर देना होगा कि मुझे सभी शर्ते मंजूर हैं।

लगातार पेज न0.. 2 ...

पेज न. 1 से आगे...

<u>आरबीट्रेशन</u>

यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। विवाद के न सुलझनें की स्थिति में, इस करार से सम्बंधित पक्षकार के आवेदन पर, सम्बंधित विवाद को समय-समय पर संशोधित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration & Conciliation Act,1996)के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ (Sole Arbitrator) द्वारा निपटान किया जाएगा जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। पक्षकार विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा न्यायालय जाने से पूर्व आर्बिटेशन के माध्यम से करेंगे। आर्बिटटेशन एंड कानसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो न्याय हेतु <u>सूरतगढ़ जिला– श्री गंगानगर (राजस्थान)</u> न्यायालय क्षेत्र ही मान्य होगा।

पार्टी का नाम/हस्ताक्षर

निविदा

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज0)।

चकों पर विलायत कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ीयां जड़ सतह से काटकर से लानें के लिए टेण्डर फार्म

खण्ड़–एक	रकम प्रति क्विंटल रूपयों में जो फार्म को दी जानी हैं
BRP-I	
BRP-III	
35STG	
37STG	
38STG	
39STG	
40STG	
41STG	
42STG	
44STG	
खण्ड़–दो	
RPM-I	
RPM-II	
RPM-III	
RPM-IV	
31APBN	
31BPBN	
33PBN	
खण्ड़–तीन	
34PBN	
3SGM	
4SGM	
5SGM	

ठेकेदार के हस्ताक्षर ....

ठेकेदार का नाम व पता..

....

मोबाईल नं0 ....

सलंग्न डी.डी. न..

डी.डी. की राशि/तारीख..